

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.17(20)नविवि / नियम / 2019

जयपुर, दिनांक 24 MAR 2022

आदेश

राजस्थान अपार्टमेंट ऑनरशिप एक्ट, 2015 की धारा 24 की उप धारा (3) तथा अपार्टमेंट ऑनरशिप नियम-2020 के नियम 9 में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने वाले प्रार्थना पत्र के साथ दी जाने वाली फीस तथा राजस्थान अपार्टमेंट ऑनरशिप एक्ट-2015 की धारा 26 की उप धारा (3) तथा राजस्थान अपार्टमेंट ऑनरशिप नियम, 2020 के नियम 10 में अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष, सक्षम प्राधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की जाने वाली फीस के प्रावधान उल्लेखित हैं।

अतः राजस्थान अपार्टमेंट ऑनरशिप एक्ट-2015 की धारा 24 की उप धारा (3) व 26 की उप धारा (3) व सुसंगत नियम, 2020 के नियम 9 व 10 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, सक्षम प्राधिकारी/अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने वाले प्रार्थना पत्र/अपील हेतु देय फीस 1000/- रुपये (अक्षरे एक हजार रुपये मात्र) डीडी के रूप में प्रार्थना पत्र/अपील हेतु पृथक-पृथक निर्धारित की जाती है।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मन्त्री/सचिव)

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निदेशक स्थानीय निकाय विभाग राजस्थान जयपुर।
5. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
7. संयुक्त शासन सचिव, प्रथम/द्वितीय/तृतीय नगरीय विकास विभाग जयपुर।
8. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
9. सचिव, नगर विकास न्यास समस्त, राजस्थान।
10. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी/उप विधि परामर्शी, नविवि।
11. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, को आवश्यक कार्यवाही करने बाबत।
12. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम